उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)

☎ 05946–299616, 299615

E-Mail: hedegreeplan@gmail.com

पत्रांकः डिग्री प्लान/ 4387 /2023–24, दिनांकः 20 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

1. कुलसचिव,
   राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड।
2. प्राचार्य,
   राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
   उत्तराखण्ड।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य,
   समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय,
   उत्तराखण्ड।

विषयः– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी में निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2023 को आयोजित ऑनलाईन बैठक में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है।

तदक्रम में आप अपने–अपने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में **"मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, देव भूमि उद्यमिता योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना"** एवं अन्य योजनाओं का महाविद्यालय के सूचनापट एवं वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र–छात्राऐं, प्राध्यापक एवं अन्य जनमानस लाभन्वित हो सके।

संलग्नकः– संचालित योजनाओं का विवरण।

भवदीय,

(डॉ0 सी0 डी0 सूँठा)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

पृ0सं0 :– डिग्री प्लान/ /2023–24 **तददिनांकित**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

(डॉ0 सी0 डी0 सूँठा)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित विभिन्न विकासपरक, जनकल्याणकारी,स्वरोजगारपरक योजनाऐं

क्र0 सं0	जनकल्याणकारी, स्वरोजगारपरक, विकासपरक, योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों एवं अधिनियामों का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी कौन होंगे	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्या होगी एवं कैसे होगी	अभ्यर्थियों की पात्रता
1	2	3	4	5	6
1	राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	50,000/– प्रति अभ्यर्थी	राज्य लोक सेवा अयोग, समूह "क", एवं "ख", संघ लोक सेवा आयोग समूह "क" एवं "ख", एवं आर्म्ड फोर्सेस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को कोचिंग हेतु योजना	शासनादेश संख्या 782 दिनांक 10.08.2021 एवं शासनदेश संख्या 1334 दिनांक 10.12. 2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। .आवेदन **प्रक्रिया** – राज्य लोक सेवा अयोग, समूह "क", एवं "ख", संघ लोक सेवा आयोग समूह "क" एवं "ख", एवं आर्म्ड फोर्सेस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण के 03 माह के भीतर आवेदन निर्धारित प्रारुप एवं वांछित अभिलेखों **(स्तम्भ 06 के अनुसार वांछित अभिलेख)** के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रस्तुत किया जाना होगा। **चयन प्रक्रिया** –आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त शासनादेशानुसार गठित समिति द्वारा राज्य लोक सेवा अयोग के प्रथम 100 अभ्यर्थी एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आर्म्ड फोर्सेज से सभी अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेखों के जॉच उपरान्त धनराशि रु0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है। **ऑन लाईन पोर्टल समर्थ के माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान।**	1–उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल निवास का प्रमाण पत्र 2.स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाऐं उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शासकीय/मान्यता प्राप्त, अशासकीय निजी शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हों। 3.परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु0 5 लाख से अधिक न हो। 4.प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 03 माह के भीतर निर्धारित प्रारुप एवं वांछित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाना होता है। 5.राज्य एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ न लिया गया हो, का शपथ पत्र।

निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय

2	एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।	50,000/– प्रति अभ्यर्थी	जिन अभ्यर्थियों का चयन एन0 डी0ए0, आई0 एम0 ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में हुआ हो एवं वर्तमान में ट्रेनिंग अथवा सेना में कार्यरत हो।	शासनादेश संख्या 2198 दिनांक 12.12.2011 एवं शासनदेश संख्या 693 दिनांक 04.09.2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। .**आवेदन प्रक्रिया** – एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन निर्धारित प्रारुप एवं वांछित अभिलेखों **(स्तम्भ 06 के अनुसार वांछित अभिलेख)** के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रस्तुत किया जाना होगा। **2.चयन प्रक्रिया** –आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में धनराशि रु0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है। **ऑन लाईन पोर्टल समर्थ के माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान।**	1–उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल निवास का प्रमाण पत्र। 2–प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा धनराशि वापस की जायेगी का शपथ पत्र। 3–आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी क्रमशः 50,000/–, 30,000/– 15,000/– एवं स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले नियमित छात्र–छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हेतु संचालित योजना।	शासनादेश संख्या 655 दिनांक 15.12.2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। **1.आवेदन प्रक्रिया** – शासकीय विश्वविद्यालयों से सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र–छात्राओं की संकायवार सूची के अनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित। **2.चयन प्रक्रिया**– शासकीय विश्वविद्यालयों से सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की सूची	1–प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत् छात्रों पर लागू होगी। 2–योजना में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित छात्र–छात्राओं को पृथक–पृथक प्रदान किया जायेगा। 3– योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालें विद्यार्थी अपात्र होंगे। 4–योजना के अन्तर्गत स्नातक/ स्नातकोत्तर में सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा एवं

निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 75,000/–, 60,000/–, 30,000/–		के अनुसार जाँच कमेटी द्वारा संकायवार स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की संस्तुत सूची शासन को प्रेषित।	किसी वर्ष में ड्राप कर अगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे।
4	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रत्येक वर्ष क्रमशः रु0 3,000/–, 2,000/– एवं 15,00/– तथा स्नातकोत्तर स्तर में विषयवार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः रु0 5,000/–, 3,000/– एवं 2,000/– की प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।	शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हेतु संचालित योजना।	शासनादेश संख्या 149416 दिनांक 25.08.2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। **1.आवेदन प्रक्रिया** – शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में प्रवेशित प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की संकायवार सूची के अनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित। **2.चयन प्रक्रिया**– शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की सूची के अनुसार जाँच कमेटी द्वारा संकायवार स्नातक एवं विषयवार स्नातकोत्तर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की संस्तुत सूची शासन को प्रेषित।	1–प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय परिसरों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत् छात्रों पर लागू होगी। 2–योजना में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित छात्र–छात्राओं को पृथक–पृथक छात्रवृत्ति प्रदान किया जायेगा। 3– योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालें विद्यार्थी अपात्र होंगे। 4–योजना के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर में सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा एवं किसी वर्ष में ड्राप कर अगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे। 5– स्नातक स्तर पर न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति एवं न्यूनतम 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक विद्यार्थी को रु0 1500/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी।

निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

5	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रु0 15 लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढाते हुए कुल रु0 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है।	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गयी हैं।	**1.आवेदन प्रक्रिया** – राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संस्थागत रुप से अध्ययनरत् छात्र–छात्राऐं । **2.चयन प्रक्रिया–** प्रस्तावित योजना हेतु राज्य स्तरीय राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ चयन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा ।	राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संस्थागत रुप से अध्ययनरत् छात्र–छात्राऐं ।
6	देवभूमि उद्यमिता, योजना ।	ई0डी0आ0ई0आई0 अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना।	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राऐं।	उत्तराखण्ड सरकार एवं EDII अहमदाबाद के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित । विभिन्न महाविद्यालयों के 3000 से अधिक छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	1-Sensitization workshops for Vice-Chancellors, Principals, Leading Education and Govt. Officials (One Workshop Every year). 2-Boot Camps for college students to Business plan Creation at Institution Level (40 Boot Camps Yearly).